

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक-09/01/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पारामेडिकल संस्थान, मखदुमपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेखपुरा में विभिन्न पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 15,67,257/- (रूपये पन्द्रह लाख सड़सठ हजार दो सौ सन्तावन) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1017(1), दिनांक-30.11.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में पारामेडिकल संस्थान, मखदुमपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेखपुरा में विभिन्न पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 15,67,257/- (रूपये पन्द्रह लाख सड़सठ हजार दो सौ सन्तावन) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-105-एलोपैथी, उपशीर्ष-0065-पारामेडिकल संस्थान, मखदुमपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेखपुरा, विपत्र कोड-20-2210-05-105-0065 अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (34-01) मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पारामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर होंगे ।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेंगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, शेखपुरा से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि(2), दिनांक-17.04.1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

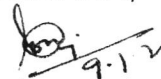
(8) प्रारूप में सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-7/PMI-49-16/2025 के पृष्ठ-10/टि० पर प्राप्त है ।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,


9.1.26.

(शंभु शरण)

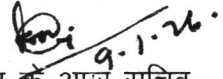
सरकार के अपर सचिव
ALP

ज्ञापांक:- 7/PMI-49-16/2025-05 (7B) / स्वा0, पटना, दिनांक:- 09/01/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्राचार्य, पारामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


9.1.26.
सरकार के अपर सचिव
Alpana